



दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केन्द्रिय कार्यालय, प्री फेब बिल्डिंग,
पटियाला हाउस न्यायालय परिसर नई दिल्ली
द्वारा

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में

सभी प्रकार के मुकदमों
संबंधी दावों को सुलझाने हेतु

लोक अदालत का आयोजन

हर महीने के द्वितीय शनिवार
को किया जाता है।

(समय प्रातः 10 बजे से
सायं 4 बजे तक)

- दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, स्त्री, बच्चे, अन्धेपन, कुष्ठरोग, खानाबदोश, बहरेपन, दिमागी असंतुलन की नियोग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, किशोर अपराधी, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति व मनुष्यों का अवैध व्यापार किए जाने से आहत व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम है, को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
- दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी जागरूकता व लोक अदालत का आयोजन करता है।
- दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा रैगिंग विरोधी, धूम्रपान विरोधी, कानूनी जागरूकता संबंधी, महिला कानून संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त जेल में बंद कैदियों से विडियो कान्फेन्सिंग की सुविधा शुरू की गई है।
- फौजदारी मुकदमों के लिए DLSA ने हाल ही में एक नया पैनल बनाया है।
- DLSA में कानूनी सलाहकारों का एक पैनल भी मौजूद है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं।

सचिव (मध्य, उत्तर व पश्चिम जिला) जिला विधिक सेवाएं समिति कमरा संख्या-287ए, तीस हजारी फोन-23925035, 23933231	सचिव पूर्व जिला जिला विधिक सेवाएं समिति कमरा संख्या-35 कड़कड़डूमा कोर्ट, फोन-22382490	सचिव (नई दिल्ली व दक्षिण दिल्ली जिला) जिला विधिक सेवाएं समिति, केन्द्रिय कार्यालय, पटियाला हाउस नई दिल्ली फोन - 46860522
सचिव उत्तर पूर्व जिला जिला विधिक सेवाएं समिति कमरा संख्या-36 कड़कड़डूमा कोर्ट, फोन- 22382490	सचिव, जिला विधिक सेवाएं समिति कमरा संख्या-306ए, रोहिणी कोर्ट दिल्ली, फोन-27555536	सचिव, दक्षिण-पश्चिम जिला कमरा संख्या 5 ए, प्रशासनिक खंड द्वारका कोर्ट, फोन- 28041480

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे पटियाला हाउस स्थित केन्द्रिय कार्यालय में
दूरभाष नं. 46860517 एवं हेल्पलाइन नं. 12525 पर संपर्क कर सकते हैं।
वेबसाइट www.dlsa.nic.in

मई महीने की लोक अदालत 08-05-2010 को आयोजित की जाएगी।

BSES
BSES Yamuna Power Limited

अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करती है कि वे इन अदालतों का लाभ उठाएं।
यह विज्ञापन बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।